

18.2.20

पत्रावली पेश हुई। प्राची अधिवक्तालय
अधिवक्ता द्वारा मौरिक कथन किया कि
वे प्रार्थना-पत्र को न्यायालय में आगे नहीं
पलाना चाहते हैं। अवलोकन किया गया।
डा. पत्र स्वीकार किया गया। पत्रावली फ़ैसल
शुक्र नम्बर से भक्त हो। निष्पत्ति लेर ईजलास
सुनाया गया।

3

